धारा नौला संवर्धन योजना

" उत्तराखण्ड के नौले: जल संरक्षण और संस्कृति का संगम "

SPRING AND RIVER REJUVENATION AUTHORITY
(SARRA) UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड राज्य

धारा नौला संवर्धन योजना 2025

SPRING AND RIVER REJUVENATION AUTHORITY
(SARRA) UTTARAKHAND

मार्गदर्शन	:	श्री दिलीप जावलकर, सचिव जलागम, उत्तराखण्ड शासन/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,SARRA
संपादन एवं अवधारणा	:	श्रीमती कहकंशा नसीम, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, SARRA
विशेष सहयोग	:	डा0 अनोज डिमरी, संयुक्त निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय
लेखन	:	डा0 सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, अपर सांख्यकीय अधिकारी, SARRA
स्वरूपण एवं चित्रांकन	:	श्री गौरव नेगी, Knowledge Management Expert, SARRA
लेखन सहयोग	:	डा0 प्रियंका नेगी, GIS Expert, SARRA श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह, Geo-Hydrologist, SARRA
टंकण सहयोग	:	श्रीमती रेखा पन्त, प्रधान सहायक, SARRA श्रीमती प्रीती, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, (SARRA) श्रीमती भारती त्यागी, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, (SARRA)

प्रकाशन	:	स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण (SARRA) जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून उत्तराखण्ड, देहरादून। दूरभाषः 0135–2768712, फैक्सः 2760170 ई-मेलः sarrauttarakhand@gmail.com

पुष्कर सिंह धामी
मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य

संदेश

हमारी देवभूमि उत्तराखण्ड की पहचान हिम शिखरों, हिमालय की चोटियों तथा देवस्थलों से तो, है ही, लेकिन इसकी आत्मा बहती है, उन धारों और नौलों में, जो सदियों से हमारे गाँवों की साँसे है। यह जल स्रोत केवल पानी ही नहीं देते- ये हमारी संस्कृति की धड़कन हैं, हमारी आस्था की गहराई हैं, और हमारी परम्परा की जड़ें हैं।

लेकिन, आज जलवायु परिवर्तन और आधुनिक जीवन शैली के प्रभावों से ये अमूल्य धरोहर, जीवनदायिनी स्रोत संकट में है। इसी परिपेक्ष्य में, हमारी सरकार द्वारा किये जा रहे अनेक प्रयासों को और अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **''धारा-नौला संवर्धन योजना''** प्रारम्भ की जा रही है, यह केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक जन आन्दोलन है- हमारी संस्कृति से जुड़ने का, प्रकृति के साथ पुनः संतुलन स्थापित करने का, और भावी पीढ़ियों के लिए जल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का।

''धारा-नौला संवर्धन योजना'', हमारी सरकार की तरफ से राज्य के ऐतिहासिक, पौराणिक व सांस्कृतिक महत्व के धारे-नौलों के संरक्षण व पुनर्रोत्थान की दिशा में अभिनव प्रयास सिद्ध होगा, इस योजना की पहल तथा संकल्पना करके जलागम प्रबन्धन निदेशालय अन्तर्गत गठित **''स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण''** (SARRA) ने अत्यन्त सराहनीय कार्य किया है।

मैं आपसे हर ग्राम प्रधान, हर वार्ड सदस्य, हर वन पंचायत, हर मातृशक्ति, हर युवा, हर स्वंय सहायता समूह, से यह आग्रह करता हूँ कि इस पुनीत कार्य में भागीदार बनें। आइये, हम अपने ग्रामों के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व के धारे-नौलों को **''जल मन्दिर''** के रूप में पुनर्जीवित करें।

(पुष्कर सिंह धामी)

उत्तराखण्ड राज्य

सतपाल महाराज
(मा0 जलागम मंत्री)

संदेश

''जल केवल जीवन नहीं, यह उत्तराखण्ड की आस्था, परम्परा और संस्कृति का अमृत है''

देवभूमि उत्तराखण्ड के धारे-नौले केवल जल स्रोत नहीं हैं- ये हमारे पूर्वजों की पूजा स्थली हैं, हमारी संस्कृति की जीवंत मूर्तियाँ है। सदियों से इन पवित्र स्थलों पर जल को वरूण देव का रूप मानकर पूजा की जाती है। देवभूमि के धारे-नौलों से जल प्राप्त होना केवल प्राकृतिक घटना नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है जो यह भी बताता है कि कैसे सदियों से हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन जीया है।

आज के समय की विडम्बना यह है कि सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को दैनिक उपयोग और खेती-बाड़ी हेतु पानी एकत्रित करने के लिये कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, वैश्विक स्तर पर हो रहा जलवायु परिवर्तन इन स्थितियों को और भी जटिल बना रहा है, क्योंकि स्थानीय जल स्रोतों में लगातार जल स्तर कम हो रहा है, ऐसी स्थिति में जल स्रोतों का संरक्षण व पुनर्जीवीकरण नितांत आवश्यक हो गया है।

जलागम प्रबन्धन निदेशालय अन्तर्गत गठित **''स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण''** (SARRA) द्वारा तैयार **''धारा-नौला संवर्धन योजना''** इसी आस्था की पुर्नस्थापना हेतु उत्कृष्ट प्रयास है। इस योजना द्वारा हम देवभूमि के ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व के धारे-नौलों को फिर से जीवंत और संरक्षित तो करेंगे ही साथ ही जन सहभागिता द्वारा उन्हें **''जल मन्दिर''** के रूप में पुनः प्रतिष्ठित कर सकेंगे।

मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह योजना हमारे धारे-नौलों के संरक्षण हेतु अत्यन्त उपयोग सिद्ध होगी साथ ही ग्राम समुदायों के लिये पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ तीर्थाटन तथा पर्यटन गतिविधियों के अवसर उत्पन्न करने में भी सक्षम होगी।

योजना की सफलता के लिए शुभकामनाऐं।

(सतपाल महाराज)

जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड शासन

प्रस्तावना

देवभूमि उत्तराखण्ड की पर्वतीय भूमि पर बहती जल धाराऐं और नौले केवल जल स्रोत नहीं है- यह हमारी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर हैं, जो हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन का भी मूल आधार हैं। सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में इन जल स्रोतों ने ही गाँवों को जीवन दिया, खेतों को सींचा और समाज को एकजुट रखा है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों, अनियमित वर्षा, कम हिमपात तथा बाढ़ एवं भू-स्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने इन प्राकृतिक जल स्रोतों और उन पर निर्भर ग्रामीणों के दैनिक जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसका परिणाम यह रहा है कि विगत कुछ दशकों में भू-जल स्तर गिरने से, जल स्रोत सूख रहे हैं, और ग्रामीण जीवन कठिन होता जा रहा है। यह संकट पर्यावरणीय दृष्टिकोण से तो है ही, अपितु देवभूमि उत्तराखण्ड जैसे राज्य में, यह सांस्कृतिक व सामाजिक चेतना पर भी प्रतिकूल असर डालता है।

सरकार द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं के माध्यम से जन सामान्य के लिये स्थितियाँ सुगम बनाने के अथक प्रयास किये जाते रहे हैं, इसी क्रम में जलागम प्रबन्धन निदेशालय अन्तर्गत गठित **''स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण''** (**SARRA**) द्वारा भी विगत दो वर्षों से जलागम अवधारणा पर आधारित योजनाओं के माध्यम से **''एक जनपद-एक नदी''** योजना में प्रत्येक जनपद से दीर्घावधिक उपचार हेतु एक नदी चिन्हित कर उसके समग्र उपचार की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिक व तकनीकि रूप से सुदृढ़ उपचार योजनाओं के निर्माण में आई0आई0टी0, रूड़की व एन0आई0एच0, रूड़की जैसे राष्ट्रीय संस्थानों से भी सहयोग लिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में अवस्थित Critical जल स्रोतों को भी प्राथमिकता के आधार पर जन समुदाय द्वारा **''भगीरथ ऐप''** के माध्यम से चिन्हिकरण कर SARRA द्वारा उपचार में सहयोग किया जा रहा है।

इसी कड़ी में राज्य में अवस्थित ऐतिहासिक, पौराणिक व सांस्कृतिक महत्व के धारे-नौले, जो स्थापत्य कला की ''नागर शैली'' व क्षेत्र में आध्यात्मिक भी महत्व रखते है, के संरक्षण व पुनर्रोत्थान के साथ-साथ जल स्रोतों में जल की उपलब्धता के दृष्टिगत स्रोतों के उपचार हेतु निरूपित "**धारा-नौला संवर्धन योजना**" का शुभारम्भ मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया।

धारा-नौला संवर्धन योजना में विभिन्न रेखीय विभागों- वन विभाग, ग्राम्य विकास, सिंचाई, लघु सिंचाई, कृषि आदि के पारस्परिक सहयोग से जल स्रोतों का चिन्हिकरण, पुनर्जीवीकरण और सत्त प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु कार्य किये जायेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित **''धारा नौला संरक्षण समिति''** इस योजना की मूल कड़ी हैं, ये समितियाँ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जल स्रोतों के चिन्हिकरण, प्राथमिकता निर्धारण, योजना निरूपण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन एवं अनुश्रवण में सक्रिय भूमिका निभायेंगी।

इस योजना द्वारा विशेष रूप से ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के धारे-नौलों को **''जल मन्दिर''** श्रेणी में

संरक्षित कर, हम विज्ञान और श्रद्धा का संगम स्थापित कर रहे हैं। **''धारा -नौला संवर्धन योजना''** उत्तराखण्ड के धारे-नौलों को पुनर्जीवित करने की दिशा में सरकार का ऐतिहासिक संकल्प है। यह योजना नीति, विज्ञान और जल सहभागिता का ऐसा मॉडल प्रस्तुत करती है, जो न केवल जल संकट का समाधान है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि, यह मार्गदर्शी पुस्तिका **''धारा - नौला संवर्धन योजना''** के सुगम व सफल क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगी।

(दिलीप जावलकर)
सचिव, जलागम प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन

स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन
प्राधिकरण (SARRA)
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड

आभार

उत्तराखण्ड की धरती केवल प्राकृतिक सौन्दर्य से ही नहीं, अपितु अपनी अनोखी जल संस्कृति से भी समृद्ध है। इन्हीं में से एक अद्भुत परम्परा है- यहॉ के नौले, जो सदियों से यहॉ के जीवन और सभ्यता का अभिन्न अंग रहे हैं। धारे-नौले, इस बात का सशक्त उदाहरण है कि मानव और प्रकृति के बीच संतुलन कैसे कायम रखा जा सकता है। भूमिगत पत्थरयुक्त निर्माण से बनीं ये जल संरचनाएं/जल कुण्ड वाष्पीकरण को रोकते हैं, जल को स्वच्छ बनायें रखते हैं और खुले जलाशयों की तुलना में अधिक सुरक्षित व स्वच्छ जल उपलब्ध कराते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति व्यवस्था करना प्रतिकूल व जटिल कार्य रहता है। ऐसी जगह में नौला स्वच्छ पेयजल का विश्वसनीय स्रोत होता है। ये जल संरचनाऐं स्थानीय संस्कृति और परम्परा से गहराई से जुड़ी हुइ हैं, जो प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन का प्रतीक है।

परंतु लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप बदलता मौसम चक्र, बादल फटने एवं भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं और सूख रहे जल स्रोत, पर्वतीय ग्रामों में निवास करने वाले लोगों के जीवन की कठिनाईयां कई गुना बढा रही हैं।

जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा अब तक संचालित की गई जलागम विकास परियोजनाओं से यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि, पर्वतीय ग्रामों में जल की उपलब्धता सुगम हो जाने से, ग्रामीणों की जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं, जोकि मृदा नमी के कारण कृषि एवं उघान क्षेत्र में बढ़ती उत्पादकता का प्रतिफल होते हैं। अतः जल स्रोतों का उपचार किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता भी है। इसी क्रम में **'धारा-नौला संवर्धन योजना'** की परिकल्पना की गयी है।

मैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा माननीय जलागम मंत्री महोदय द्वारा **धारा-नौला संवर्धन योजना** के लिये स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण (SARRA) को दी गयी प्रेरणा तथा प्रोत्साहन के लिये हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। साथ ही श्री दिलीप जावलकर, सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, SARRA का इस योजना की कार्यनीति एवं निरूपण प्रक्रिया के नेतृत्व हेतु आभार व्यक्त करती हूँ।

मैं, आशा करती हूँ कि **धारा-नौला संवर्धन योजना** के द्वारा ग्रामीणों, स्कूल/कॉलेज के विद्यार्थियों तथा अन्य जन-सामान्य के द्वारा क्रियान्वयन व सफल संचालन में, ये मार्गदर्शी पुस्तिका सहायक सिद्ध होगी। साथ ही स्थानीय शासन के रूप में ग्राम पंचायतों की सहभागिता एवं रेखीय विभागों के आपसी समन्वय से जल संस्कृति के पुर्नजागरण द्वारा राज्य के ऐतिहासिक, पौराणिक महत्व के धारे-नौलों का संरक्षण व पुनरोत्थान की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास होगा। इस पुस्तिका के संकलन में स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण (SARRA) का सहयोग प्रशंसनीय है।

अंत में मैं, **स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण (SARRA)** को दिये जा रहे सहयोग हेतु सभी रेखीय विभागों, संस्थानों व गैर सरकारी संगठनों का भी आभार व्यक्त करती हूँ।

(कहकशां नसीम)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Spring And River Rejuvenation Authority (SARRA) Uttarakhand

धारा नौला संवर्धन योजना

नित्यं शुद्धं जलं देहि, सर्वेषां प्राणधारकम्।
यः पिबेत् तदनुज्ञातं, स जीवति सुखं नरः।। (महाभारत-शांति पर्व)

यह महाभारत (शांति पर्व) का श्लोक जल के महत्व को अत्यन्त सुन्दर ढंग से समझाता है। इसका अर्थ-"शुद्ध जल ही सभी का जीवन आधार है, जो व्यक्ति जल का आदर पूर्वक उपयोग करता है, वही सुखपूर्वक जीवन जीता है"। प्राचीन काल से हमारे धर्म ग्रन्थों व महाकाव्यों द्वारा जल संचय व संरक्षण के प्रति सचेत करते हुए, जल को "वरूण देव" के रूप में पूजा जाता रहा है। विशेषकर देवभूमि उत्तराखण्ड में ऐतिहासिक, पौराणिक नौलों-धाराओं का यहाँ के लोगों के जीवन में सांस्कृतिक महत्व भी है।

प्राचीन काल से ही देवभूमि उत्तराखण्ड में जल का ऐतिहासिक, सामाजिक एवं धार्मिक महत्व रहा है। प्राचीन काल में अनेक जलस्रोतों के उदगम स्थलों पर अत्यन्त सुन्दर एवं उत्कृष्ट संरचनायें बनायी गयी थी। इन संरचनाओं या ‘‘जल मंदिरों’’ का निर्माण मुख्यतः स्थानीय पत्थरों और लकड़ियों से किया गया था, जो इस क्षेत्र की प्राकृतिक और सांस्कृतिक पहचान भी है। उत्तराखण्ड के इतिहास में कत्यूरीकाल (7वीं-11वीं शताब्दी) स्थापत्य/वास्तुकला का उत्कर्ष युग माना जाता है।

इसमें बने हुये मंन्दिर, किलें आदि संरचनायें मुख्यतः "नागर शैली" परम्परा को अनुसरित करते है, जिसमें स्थानीय ‘‘हिमाद्री शैली‘‘ का भी पूरा प्रभाव परिलक्षित होता है। इसमें पत्थरों का चयन और लकड़ियों पर की गयी उत्कृष्ट नक्काशी इस क्षेत्र की वास्तुकला की विशिष्ठता को दिखाती है। समय के साथ-साथ संरक्षण के अभाव और आधुनिकीकरण के कारण ये "जल मंन्दिर" क्षतिग्रस्त हुये और अनेक स्थानों पर इनका आधुनिक किन्तु बहुत साधारण रूप से जीर्णोद्धार किया गया, जिसका कारण यह रहा कि उत्तराखण्ड की स्थापत्य कला की विशिष्टता लुप्त होती जा रही है।

इस "धारा नौला संवर्धन योजना" के द्वारा इन महत्वपूर्ण जल मंन्दिरों का पुरानी स्थापत्य/वास्तुकला के अन्तर्गत जीर्णोद्धार किया जायेगा, जिससे कि यह पुनः अपने गौरव को प्राप्त कर सकें। इस वास्तुकला से परिचित शिल्पकारों और काष्ठकारों को भी इस योजना के अन्तर्गत संरक्षण और रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकंगें। साथ ही सम्बन्धित जलागम क्षेत्रों के उपचार से जो सतत् धारा का प्रवाह होगा, वो पूरे क्षेत्र के पारिस्थितिकीय तंत्र (Eco-System) के स्वस्थ होने को प्रमाणित करेगा और साथ ही स्थानीय लोगों के साथ-साथ आगन्तुकों और पर्यटकों को उत्तराखण्ड की बहुआयामी गौरवशाली अतीत से साक्षात्कार करायेगा।

यद्यपि उत्तराखण्ड, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों को सिंचित करने वाली अनेक सदानीरा नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है। राज्य में ग्लेशियरों के प्रवाह के साथ-साथ वर्षा पर आधारित लगभग 213 प्रमुख व सहायक नदियों का विस्तृत जलतंत्र विद्यमान है, तथापि राज्य के पर्वतीय जनपदों के सभी ग्रामीण परिवार पेयजल तथा कृषि गतिविधियों के लिये प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष के रूप से वर्षा आधारित नौले व धारों पर ही निर्भर है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन तथा अनेक मानव निर्मित कारणों का दुष्प्रभाव इन नदियों तथा जल स्रोतों के जल स्तर पर पड़ा है। State Specific Action Plan for Water Sector of Uttarakhand (15th Dec, 2018) के अनुसार पिछले कुछ दशकों में राज्य के लगभग 12,000 जल स्रोत सूख चुके हैं, तथा अन्य चिन्ताजनक स्थिति में हैं।

जलवायु परिर्वतन का प्रभाव राज्य की नदियों, प्राकृतिक तालाबों तथा जल स्रोतों के जल स्तर पर तो पड़ा ही है, साथ ही वर्षा चक्र में आए बदलाव तथा ग्लेश्यिरों के तेजी से पिघलने का प्रभाव जल की गुणवत्ता पर भी पड़ा है। अनियमित वर्षा के कारण न सिर्फ बाढ़ व भूस्खलन की घटनाऐं बढ़ी हैं, बल्कि भू-जल की उपलब्धता भी कम हुई है। कम समय में अधिक वर्षा होने के कारण भू-जल रिचार्ज कम हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव जल स्रोतों पर भी पड़ रहा है। विगत दशकों में कम हिमपात, वानस्पतिक आवरण में कमी तथा बढते शहरीकरण के कारण भी जल स्रोत सूखने लगे हैं।

जल स्रोतों एवं नदियों के प्रवाह में इस कमी का दुष्प्रभाव मानव जीवन पर प्रतिकूल रूप से पड़ रहा है। राज्य के ग्रामीण जन-जीवन के लिए दिन-प्रतिदिन विषम होती जा रही परिस्थितियों को देखते हुए, राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों व नदियों का चिन्हिकरण कर, वैज्ञानिक पद्धतियों से वर्षा जल संग्रहण तकनीकों के माध्यम से चरणबद्ध रूप से उपचार करते हुए नदियों के पुनर्जीवन तथा जल स्रोतों में निरन्तर प्रवाह के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य स्तर पर इस सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों को समेकित रूप से किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या-169384/2023&07(05)(XIII-A-1)/2023 दिनांक 17 नवम्बर 2023 द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जलागम निदेशालयान्तर्गत राज्य स्तरीय

Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA) का गठन किया गया।

राज्य स्तरीय Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA) की स्थापना का उद्देश्य राज्य के विभिन्न जल स्रोतों यथा-नौले, धारे, छोटी नदियाँ, बड़ी नदियों, वर्षा आधारित नदियाँ, जलाशयों, तालाबों, आदि समस्तः-

- जल स्रोतों के चिन्हिकरण, जल उत्सर्जन में वृद्धि, मापन एवं अनुश्रवण।
- वर्षा जल का संग्रहण।
- जल स्रोतों का पुनर्जीवीकरण एवं जीर्णोद्धार।
- वर्षा आधारित नदियों के चिरस्थायी प्रवाह हेतु वैज्ञानिक आधार पर उपचार योजनाऐं तैयार करना। इस हेतु स्थानीय जन सहभागिता से उपचार योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग व जल का सतत् उपयोग सुनिश्चित करना है।

उक्त उदेद्श्यों की पूर्ति हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर "धारा नौला संरक्षण समिति" के गठन का प्राविधान किया गया है।

धारा नौला संरक्षण समिति

ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत गठित ''जल प्रबन्धन समिति'' को विस्तारित कर शासन द्वारा **'धारा नौला संरक्षण समिति'** के रूप में निम्नवत गठित की गयी है:-

• प्रधान, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
• ग्राम पंचायत की जल संरक्षण एवं जैव विवधत उप समिति के अध्यक्ष	सदस्य
• ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/इस क्षेत्र में कार्य कर रही कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि	सदस्य सचिव

- ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य — सदस्य
- सरपंच, वन पंचायत (वन पंचायत के क्षेत्रों में) — सदस्य
- ग्राम पंचायत से स्वयं सहायता समूह की 02 महिला सदस्य — सदस्य
- सम्बन्धित रेखीय विभागों के ग्राम पंचायत स्तर के कार्मिक-वन/ पेयजल निगम/जल संस्थान/सिंचाई/लघु सिंचाई/ग्राम्य विकास/ जलागम/कृषि आदि — सदस्य

उत्तराखण्ड राज्य में अधिकांशतः पर्वतीय भू-भाग होने के कारण हम बारिश के पानी को जमा नहीं कर पाते हैं, तो यह बेकार बह जाता है और उपजाऊ भू-मृदा को भी बहा ले जाता है। इसके उपचार हेतु स्थानीय शासन के रूप में ग्राम पंचायतों की जल संसाधनों के विकास, संरक्षण और इनके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम पंचायतों में जल संचय, संरक्षण व संवर्द्धन हेतु ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में **धारा नौला संरक्षण समिति** का गठन किया गया है।

इस समिति के कार्य एवं दायित्व निम्नवत है:

1. चिन्हिकरण :

- चिन्हिकरण करने हेतु समिति द्वारा आम सभा/खुली बैठक बुलाई जायेगी। जिसमें समिति व ग्रामीणों द्वारा आम सहमति से उपचार हेतु चिन्हित जल स्रोतों की प्राथमिकता/वरीयता का भी निर्धारण किया जायेगा।
- चिन्हिकरण एवं प्राथमिकता निर्धारण में ग्राम पंचायत में स्थित पौराणिक/ऐतिहासिक/ सामाजिक एवं धार्मिक महत्व के धारे-नौलो को प्रथम वरीयता के रूप में चिन्हित किया जायेगा।
- तत्पश्चात इन चयनित धारें-नौलो से सम्बन्धित सूक्ष्म जलागम का पुनर्जीवीकरण, संवर्धन एवं संरक्षण किया जायेगा, तथा इन नौले-धारों का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण पुरानी स्थापत्य कला को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। जिससे यह संस्कृति और विज्ञान का केन्द्र बन सके और आम जन मानस को "धारा-नौला" संरक्षण योजना से जोड़ सके।
- पौराणिक व ऐतिहासिक काल तथा महत्व के धारे-नौलो के जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण तथा जीर्णोद्धार सम्बन्धित कार्ययोजना के प्रस्ताव सीधे, समिति द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठक कर तथा समिति के अनुमोदन सहित जनपद के Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA) कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. नियोजन एवं वित्त पोषक:

धारा नौला संवर्धन समिति द्वारा चिन्हिकरण एंव प्राथमिकता निर्धारण के उपरान्त जल स्रोतों के उपचार में स्थानीय समुदाय की भागीदारी से नियोजन प्रक्रिया सम्बन्धित गतिविधियों को क्रियान्वित कराने में समग्र भागीदारी सुनिश्चित करेगी।

- इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व के नौले-धारों के संरक्षण पुनर्जीवीकरण तथा जीर्णोद्धार के प्रस्ताव पर कार्ययोजना तैयार करने हेतु District SARRA Centre को अपनी संस्तुति सहित अनुरोध करेगी। तदोपरान्त District SARRA Centre रेखीय विभागों के सहयोग से समिति की संस्तुति के आधार पर वैज्ञानिक/तकनीकी आधार पर उपचार कार्ययोजना तैयार करायेगी।
- समिति जल स्रोत उपचार योजनाओं हेतु SARRA के अतिरिक्त, ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध विभिन्न योजनाओं/वित्तीय संसाधनों को उपचार गतिविधियों हेतु केन्द्राभिसरण (Convergence) के लिये प्रयास करेगी।

- यदि ग्राम पंचायत, राज्य स्तर अथवा जनपद स्तर से चयनित 'एक नदी-एक जनपद' योजना के अन्तर्गत है, तो समिति द्वारा ग्राम पंचायत के अन्तर्गत होने वाले कार्यों/गतिविधियों के नियोजन में ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुसार District SARRA Centre को अपनी संस्तुति/सिफारिश की जा सकती है।

3. क्रियान्वयनः

- इस प्रक्रिया में समिति द्वारा चिन्हिकरण, प्राथमिकता निर्धारण तथा संस्तुति के आधार पर जनपद/रेखीय विभागों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।
- जल स्रोत पुनर्जीवीकरण तथा वर्षा आधारित नदी/सहायक नदी उपचार योजनाओं को वैज्ञानिक/तकनीकी रूप से निरूपित कर तद्नुसार ही कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे, परन्तु धारा-नौला संवर्धन समिति के आधार-भूत ज्ञानवर्द्धन हेतु यह जानना आवश्यक है कि प्रस्तावित समस्त कार्य जलागम उपचार की वैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर ही किये जायेंगें।

रिज टू वैली (चोटी से घाटी तक) दृष्टिकोण:

- Watershed (जलागम) का सबसे उपरी भाग को धार/चोटी कहते हैं, और जलागम (Watershed) की सीमा के भीतर चोटी के भाग को जो रेखाएं मिलती है, उसे रिज लाइन कहा जाता है।
- गावों में जब बारिश होती है, तो कुछ पानी जमीन सोख लेती है और बाकी पानी ऊपर से नीचे की ओर बह जाता है, इस पानी में से भी कुछ नदी, तालाबों व झीलों में जमा हो जाता है। इसके बाद बचा बाकी पानी गाँव से बाहर बह जाता है। इसी पानी को हम Run of Water या अपवाह जल या सतही अपवाह भी कहते हैं।
- इसलिए किसी भी ग्राम पंचायत, जिसको अपने ग्राम में जल संचय व संग्रहण करना है, जलागम अवधारणा के अन्तर्गत रिज टू वैली (चोटी से घाटी तक) दृष्टिकोण के अनुरूप कार्यों/गतिविधियों को कराने की संस्तुति करनी चाहिये। क्योंकि वर्षा जल को भूमि में जाने हेतु पर्याप्त समय व संरचनाओं की आवश्यकता होती है।
- जल प्रवाह को कम करने से मृदा संरक्षण व प्राकृतिक आपदाओं पर भी कुछ सीमा तक नियन्त्रण पाया जा सकता है, तथा उपयोगी कृषि भूमि के बचाव एवं सत्त जल उपलब्धता से ग्रामीणों की आजीविका सम्वर्द्धन की दिशा में कार्य किया जा सकता है।
- विभिन्न जल स्रोतों, सहायक नदियों, धाराओं के जलागम क्षेत्र/Catchment Area में क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न प्रकार की उपचार गतिविधियाँ रिज टू वैली (चोटी से घाटी तक) दृष्टिकोण में की जा सकती है :

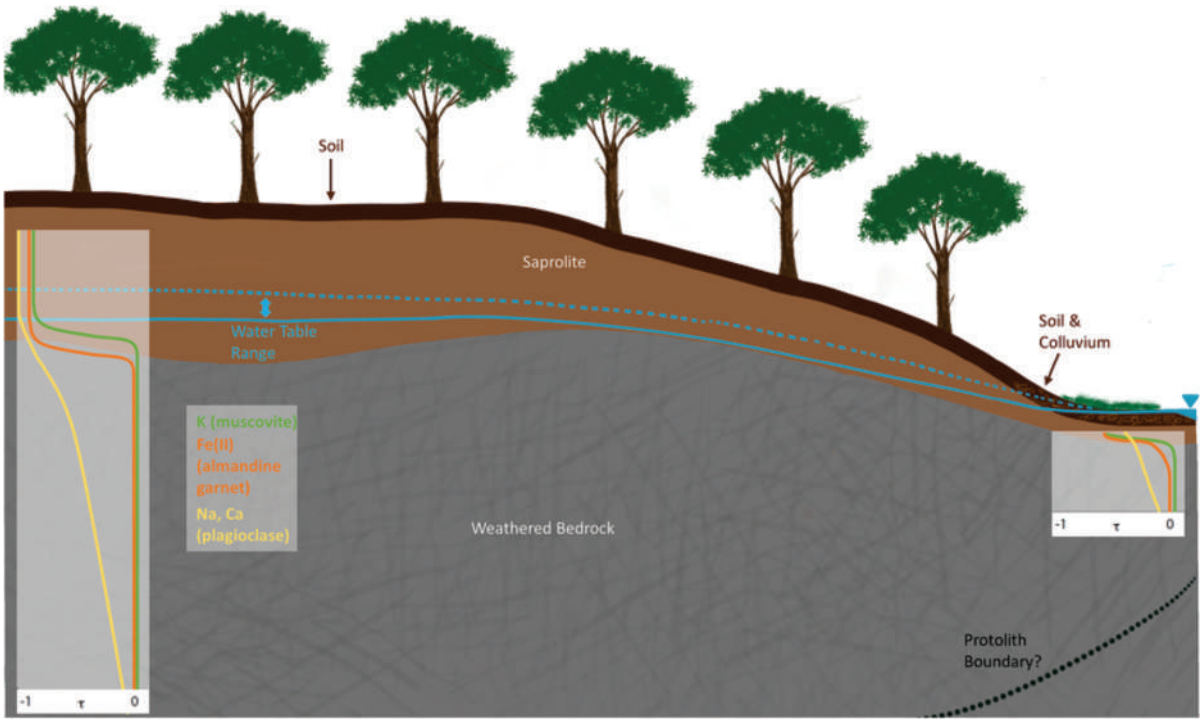

जिनका विवरण क्रमवार निम्नवत है:-

• समोच्च खन्तियाँ/कन्टूर ट्रैन्चेज • रिचार्ज पिट • वृक्षारोपण/वनीकरण/ANR Oak • डग आउट पौण्ड • चाल खाल/ग्रामीण तालाब	जल संरक्षण /रिचार्ज हेतु
• चैक डैम (वानस्पतिक अवरोध,अस्थाई चैक डैम, गैबियन चैक डैम) • Loose Boulder Check dam एवं Dry Check dam • Crate wire/Gabion Check dam • Cemented Check dam • अन्य	रन ऑफ /जल की गति को कम करना

अभी तक वर्णित प्रक्रिया में **'धारा नौला संरक्षण समिति'** द्वारा किये जाने वाले कार्य व दायित्व तथा जलागम अवधारणा/दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रमुख कार्य संरक्षित रूप से निम्न है:-

प्रथम: ग्राम पंचायत में आच्छादित जल स्रोतों का चिन्हिकरण व उपचार हेतु प्राथमिकता निर्धारण में सहयोग/सहभागिता।

द्वितीय : चिन्हित जल स्रोतों के उपचार हेतु स्थानीय समुदाय की भागीदारी से नियोजन प्रक्रिया सम्बन्धी गतिविधियों में समग्र भागीदारी सुनिश्चित करना।

तृतीय : चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रत्येक स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना व आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

'क' **चिन्हिकरण, नियोजन तथा क्रियान्वयन** हेतु यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायत या तो **'एक नदी एक जनपद'** योजना के अन्तर्गत नदी क्षेत्र के जलागम या Catchment Area के अन्तर्गत हो,

अथवा

'ख' जिन ग्राम पंचायत के अन्तर्गत पौराणिक काल या ऐतिहासिक महत्व के नौले-धारे विद्यमान हो, जिनका ग्रामीणों/स्थानीय समुदाय के बीच सांस्कृतिक रूप से भी महत्व हो, तो इस प्रकार के प्राचीन नौलों के पुनर्जीवीकरण, रख-रखाव व जीर्णोद्धार हेतु जैसा कि बिन्दु-1 व 2 में उल्लेखित भी है। समिति द्वारा प्रस्ताव District SARRA Centre को दिया जायेगा।

जल स्त्रोत (Spring)

एक जल स्त्रोत-पृथ्वी की स्तह पर दृश्यमान भू-जल निकासी का वह बिन्दु है, जहां से, जल निकासी या प्रवाह जलभृत (Aquifer) के अन्दर जल-स्तर प्रवणता (Hydraulic Head) की ऊंचाई और भूमि की सतह की ऊंचाई, के अन्तर के कारण होता है।

जल स्त्रोतों के प्रकार विभिन्न भू-वैज्ञानिक (geological) और जल-विज्ञान (hydrological) कारकों पर निर्भर करते हैं। जल स्त्रोतों की उत्पत्ति और प्रवाह मुख्यतः भू-वैज्ञानिक संरचनाओं जैसे भ्रंश, वलन, परतों का झुकाव, तथा चट्टानों की पारगम्यता से नियंत्रित होती है। नमीदार (permeable) और अपारगम्य (impermeable) परतों का संपर्क बिंदु जल स्त्रोत के निर्माण का प्रमुख स्थल होता है।

जल स्त्रोत का वर्गीकरण जल-स्तर, दबाव, स्थलाकृति तथा प्रवाह निरंतरता के आधार पर किया जाता है, जैसे-अवतरण (Gravity) झरने, उद्गम (Artesian) झरने, संपर्क एवं अवरोध झरने आदि। भूजल भंडारण (Aquifer) की क्षमता, पुनर्भरण क्षेत्र (Recharge Zone) की प्रकृति, और स्थलाकृतिक ढाल (slope) मुख्यतः जल स्त्रोत के स्थायित्व को निर्धारित करते हैं।

हिमालयी क्षेत्र में अधिकांश जल स्त्रोत दरारों-चट्टानों (Fracture Springs) अथवा संपर्क जल स्त्रोत (Contact Springs) स्वरूप के हैं, जो भ्रंशित (Faults) व बलित (Folds) चट्टानों से निकलते हैं। इसलिये भू-संरचनात्मक मानचित्रण, जलभृत विश्लेषण तथा जल प्रवाह दिशा की पहचान करना जल स्त्रोतों के पुनर्जीवीकरण की वैज्ञानिक आधारशिला है ।

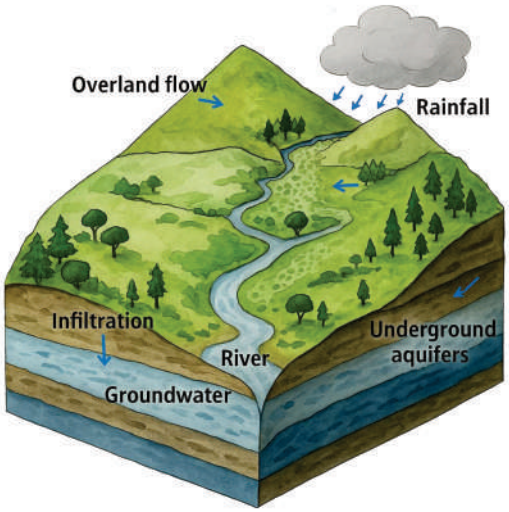

जलागम क्षेत्र में वर्षा - सतही प्रवाह - अवशोषण और भूजल रीचार्ज प्रक्रिया

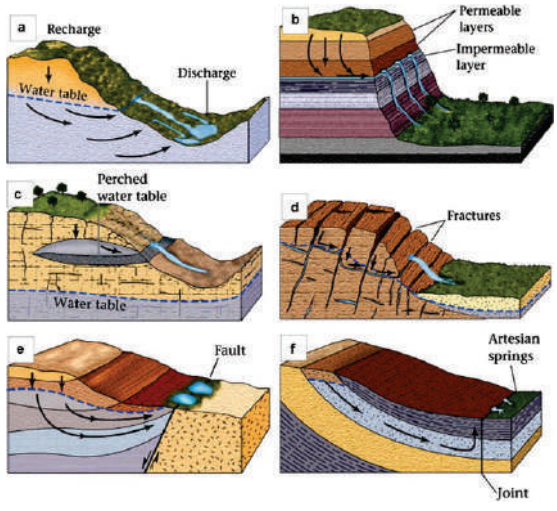

पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के जल स्त्रोत

पूर्व में जल स्रोत पुनर्जीवीकरण का कार्य सामान्य स्थलाकृति और स्थानीय अनुभवों पर किये जाते थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में जल संरक्षण संरचनाएँ (Recharge Structures) प्रायः वास्तविक भूजल प्रवाह मार्ग (Groundwater Flow Path) से असम्बद्ध रह जाती थीं। फलस्वरूप, जल स्रोतों में सतत् जल प्रवाह बनाये रखने अथवा वृद्धि में अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते थे।

वर्तमान समय में, जियोइन्फॉर्मेटिक्स (Geoinformatics), रिमोट सेंसिंग (Remote Sensing), GIS (Geographic Information System), हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग, और भू-भौतिकीय सर्वेक्षण जैसी उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों के एकीकृत प्रयोग ने इन सीमाओं को समाप्त कर दिया है। जिसके कारण स्प्रिंगशेड उपचार पूर्ण रूप से डेटा-संचालित (Data-driven), स्थान-विशिष्ट (Site-Specific) और मापन योग्य (Quantifiable) हो गया है।

जलस्रोत क्षेत्र (Springshed) का परिचय

एक जल स्रोत क्षेत्र (springshed), जिसे भूजल पुनर्भरण क्षेत्र (ground water recharge area) या जल स्रोत पुनर्भरण क्षेत्र (spring recharge zone) भी कहा जाता है, वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ जल भूमि में समाहित होकर अंततः जल स्रोतों के प्रवाह में योगदान करता है (bcontributes to the flow of springs)। जल स्रोत क्षेत्र मीठे पानी के जल स्रोतों (freshwater springs) के प्रवाह को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो पेयजल, कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) के लिए आवश्यक जल संसाधन प्रदान करते हैं।

पारम्परिक एवं विज्ञान तथा तकनीकी समावेश से जल स्रोतों का पुनर्जीवीकरण

हिमालयी और पर्वतीय क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं पुनर्भरण की दो प्रमुख अवधारणाएँ रही हैं -

(क) परंपरागत रिज-टू-वैली (Ridge to Valley) दृष्टिकोण, जिसमें जल संरक्षण कार्य ऊँचाई से घाटी तक सतही प्रवाह के अनुरूप किए जाते हैं, और

(ख) आधुनिक स्प्रिंगशेड (Springshed) दृष्टिकोण, जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी विश्लेषण पर आधारित है और प्रत्येक जल स्रोत को एक स्वतंत्र जलग्रहण इकाई (hydrological unit) मानकर उसके पुनर्भरण क्षेत्र की पहचान करता है।

दोनों दृष्टिकोणों का उद्देश्य जल संरक्षण है, किंतु पद्धति, सटीकता और प्रभावशीलता में गहन भिन्नता पाई जाती है। तकनीक-संचालित स्प्रिंगशेड दृष्टिकोण वर्तमान समय में अधिक सटीक, मापनीय और स्थल-विशिष्ट परिणाम प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण निम्न तकनीकी उपकरणों एवं विश्लेषणों पर आधारित है-

- उपग्रह आधारित DEM (Digital Elevation Model) SRTM, या ALOS डेटा द्वारा स्थलाकृति

एवं प्रवाह दिशा का विश्लेषण।

- हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग (Hydrological Modelling): Flow Direction, Flow Accumulation, Topographic Wetness Index (TPI), Stream Power Index (SPI) और Soil Moisture Index (SMI) विश्लेषण द्वारा संभावित पुनर्भरण क्षेत्रों की पहचान।
- भू-वैज्ञानिक एवं संरचनात्मक मैपिंग, भ्रंश, दरार, वलन तथा पारगम्य परतों का विश्लेषण, जो भूजल प्रवाह नियंत्रित करते हैं।

GPS और मोबाइल आधारित निगरानीरू जल स्रोतों के प्रवाह, गुणवत्ता और मौसमी परिवर्तनों का फील्ड स्तर पर डेटा संकलन।

इस प्रकार यह दृष्टिकोण स्थल-विशिष्ट हस्तक्षेपों (site-specific intyerventions) को सक्षम बनाता है, जिससे प्रत्येक जल स्रोत का प्रवाह दीर्घकालिक रूप से पुनर्जीवित किया जा सकता है।

वैज्ञानिक तकनीक/दृष्टिकोण-विश्वसनीयता और प्रभावशीलता के साक्ष्य

- तकनीक आधारित स्प्रिंगशेड उपचार परियोजनाओं में-प्रवाह वृद्धि 40 % – 80 % तक।
- जल स्रोतों का मौसमी से स्थायी (seasonal to perennial) रूपांतरण।
- वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा मूल्यांकन एवं अनुश्रवण और GIS आधारित डाटाबेस द्वारा परिणामों की पारदर्शिता एवं पुनरावृत्ति (replicability)।
- सामुदायिक सहभागिता द्वारा GPS आधारित फील्ड डेटा संग्रह, स्रोत निगरानी और रिपोर्टिंग।

इस प्रकार प्रौद्योगिकी और जल विज्ञान की उन्नति ने स्प्रिंगशेड पुनर्जीविकरण को अनुभव-आधारित पद्धति से आगे बढ़ाकर साक्ष्य-आधारित वैज्ञानिक प्रणाली (Evidence-based Scientific System) में परिवर्तित कर दिया है।

इस योजना का दृष्टिकोण केवल जल स्रोतों को पुनर्जीवित नहीं करता, बल्कि -

- दीर्घकालिक जल उपलब्धता
- पारिस्थितिक संतुलन
- सामुदायिक जल सुरक्षा
- जलवायु अनुकूलन (Climate Resilience) सुनिश्चित करता है।

इस प्रकार, स्प्रिंगशेड पुनर्जीविकरण में प्रौद्योगिकी और हाइड्रोलॉजी की एकीकृत प्रगति ने इसे एक विश्वसनीय, दोहराने योग्य और मापन योग्य मॉडल बना दिया है- जो पर्वतीय जल-संसाधन प्रबंधन के लिए एक नई वैज्ञानिक दिशा सिद्ध होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

ऐतिहासिक व पौराणिक काल/महत्व के नौले-धारे के उपचार हेतु प्रस्ताव 'जल मन्दिर' श्रेणी के अन्तर्गत लाया जायेगा।

एक हथिया नौला, चंपावत

- समिति ग्राम पंचायत से 'जल मन्दिर' श्रेणी में इस प्रकार के नौले में संरक्षण हेतु संस्तुति प्रस्ताव जनपद को उपलब्ध करायेगी।
- District SARRA Centre जनपद में 'धारा नौला संरक्षण समितियों' से प्राप्त इस प्रकार के समस्त प्रस्तावों को वैज्ञानिक/तकनीकी रूप से जांच के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर क्षेत्र की आवश्यकता के दृष्टिगत 'जल मन्दिर' कार्ययोजनाऐं तैयार करायेगी।
- 'जल मन्दिर' कार्ययोजना तैयार करते समय कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि नौले-धारे में विगत वर्षों में जल उपलब्धता में कमी परिलक्षित हुई है तो ऐसे 'जल मन्दिर' कार्ययोजनाओं हेतु सम्बन्धित जल स्रोत का Potential Recharge Area ज्ञात कर, उपचार कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

अतः किसी भी धारा नौला संरक्षण समिति द्वारा 'क' अथवा 'ख' अथवा दोनों रूप में ग्राम पंचायत से भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।

उत्तराखण्ड के धारे-नौले : धर्म, संस्कृति और वास्तुकला का प्रतीक

उत्तराखण्ड की धरती केवल प्राकृतिक सौन्दर्य से ही नहीं, अपितु अपनी अनोखी जल संस्कृति से भी समृद्ध है। इन्हीं में से एक अद्भुत परम्परा है- यहॉ के धारे-नौले, जो सदियों से यहॉ के जीवन और सभ्यता का अभिन्न अंग रहे हैं।

धारा-नौला क्या है ?

''धारा-नौला'' परम्परागत प्राचीन और जल संग्रहण विधि का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो प्राचीन, परम्परागत शिल्पकला में पत्थरों से बने भूमिगत जल स्रोत हैं, जिसमें पारम्पारिक साधनों के द्वारा भूमिगत जल को एकत्रित व संरक्षित किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूमिगत जल के रिसाव/उत्सर्जन दो प्रकार से होते हैं- जब जल एक धार से किसी स्थान से उत्सर्जित होता है, धारा कहलाता है और जब यही जल भूमि की निचली सतहों से ऊपर की ओर उत्सर्जित हो कर, एक कुण्ड रूप में एकत्रित होता है, नौला कहलाता है। प्राचीन काल में इन जल स्थलों को पत्थरों की विशिष्ट सरंचनाओं से संग्रहित किया जाता था, जिससे इस संग्रहित जल का उपयोग जल संकट/कमी के मौसम में किया जा सके। यह जल संरचनाऐं न केवल भू-गर्भीय और स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यत्मिक महत्व भी रखती है। उत्तराखण्ड में स्थित कई धारे-नौलें पवित्र स्थल के रूप में आज भी पूजित हैं, जहॉ आज भी पूजा-अर्जना और अनुष्ठान सम्पन्न होते है।

प्रकृति के साथ समांजस्य का प्रतीक -

धारे-नौले, इस बात का सशक्त उदाहरण है कि मानव और प्रकृति के बीच संतुलन कैसे कायम रखा जा सकता है। भूमिगत पत्थरयुक्त निर्माण से बने ये जल संरचनाऐं/जल कुण्ड वाष्पीकरण को रोकते हैं, जल को स्वच्छ बनाये रखते हैं और खुले जलाशयों की तुलना में अधिक सुरक्षित व स्वच्छ जल उपलब्ध कराते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जहॉ पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति व्यवस्था करना प्रतिकूल व जटिल कार्य रहता है। ऐसी जगह में नौला स्वच्छ पेयजल का विश्वसनीय स्रोत होता है। ये जल संरचाऐं स्थानीय संस्कृति और परम्परा से गहराई से जुड़ी हुई है, जो प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन का प्रतीक है।

धरोहर और आस्था का संगम -

उत्तराखण्ड में स्थित नौलों में भगवान विष्णु व महाभारत काल से जुडी पौराणिक कथाऐं, अभिलेख और शिल्पकारी देखने को मिलती है। ये केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि हमारे इतिहास, आस्था और वास्तुकला के जीवंत प्रतीक है। अतः इनका संरक्षण केवल पर्यावरणीय दायित्व नहीं, अपितु संस्कृति की रक्षा का संकल्प भी है।

ऐतिहासिक व सांस्कृतिक गौरव के उदाहरण-

कुमॉऊ क्षेत्र में कत्यूरी और चंद वंशों के समय स्थापत्य कला की ''नागर शैली'' में निर्मित नौले आज भी क्रियाशील हैं, जिनमें से कुछ उत्कृष्ट उदाहरण निम्न है-

-
- सूर्यकोट (अल्मोड़ा) का लगभग हजार वर्ष पुराना नौला।
- हाट कालिका मंदिर (गंगोलीहाट, पिथौरागढ़) के पास लगभग 700 वर्ष पुराना नौला।
- गढ़शेर नौला (बागेश्वर)- 7वीं शताब्दी की धरोहर।
- रानीधारा, पहियानी और तुलारमेश्वर नौला (अल्मोड़ा) तथा पहाड़पानी नौला (नैनीताल) भी उत्कृष्ट उदाहरण है।

''धारा-नौला संवर्धन योजना'' तैयार किये जाने के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी है कि ऐसे ऐतिहासिक/पौराणिक व सांस्कृतिक महत्व के धारे-नौलों को ''जल मन्दिर'' योजनाओं के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत के केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाये और उनके इतिहास और महत्व की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाये।

सूर्यकोट (अल्मोड़ा)

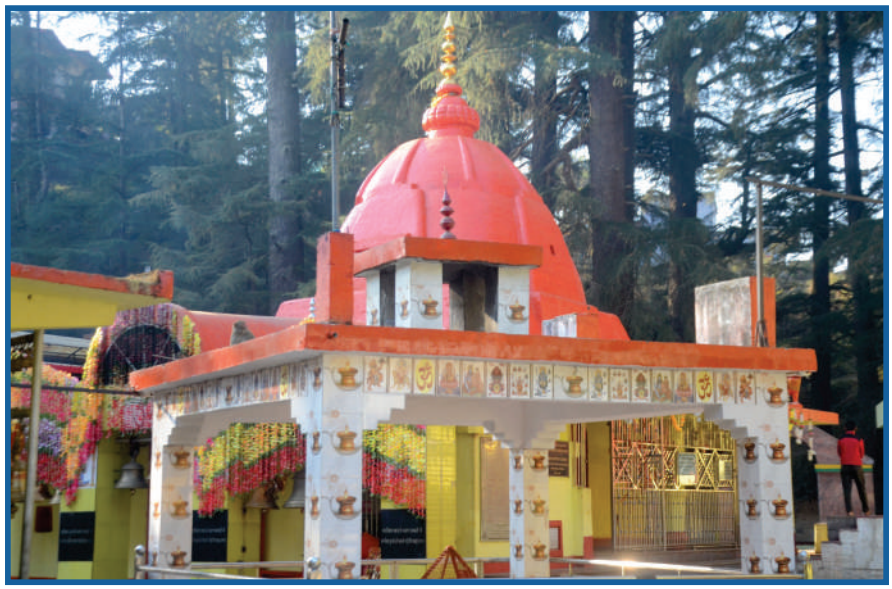

हाट कालिका मंदिर (गंगोलीहाट, पिथौरागढ़)

"जल ही जीवन, परम्परा ही पहचान"

धारे-नौलों केवल जल संग्रहण संरचनाऐं नहीं है- वे जीवंत परम्परा, पर्यावरणीय बृद्धिमत्ता और सत्त जीवन शैली के प्रतीत है। इनका संरक्षण करना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी और पर्यावरणीय आवश्यकता दोनों है। यदि हम इन जल धरोहरों को संजोकर रखेंगे, तो न केवल अपने अतीत को बचाऐंगे, बल्कि भविष्य के लिए भी जीवन का अमृत स्रोत सुरक्षित रख पायेंगे।

4. मूल्यांकन एवं अनुश्रवण :

- ग्राम पंचायत में सहभागी व्यवस्था के अन्तर्गत जल स्रोतों के बहाव एवं जल गुणवत्ता का मूल्यांकन समय-समय पर किया जायेगा।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर गठित **'धारा नौला संरक्षण समिति'** द्वारा एक व्यक्ति को **जल मित्र/जल सखी** के रूप में नामित किया जायेगा।
- **जल मित्र** द्वारा ग्राम पंचायत अन्तर्गत संचालित योजनाओं की प्रत्येक प्रक्रिया में तकनीकी रूप से सहयोग, संचालन व रख-रखाव में समिति को सहयोग किया जायेगा।
- **जल मित्र** द्वारा जल स्रोतों में जल प्रवाह का नियमित रूप से मापन किया जायेगा।
- **जल मित्र** को समिति के माध्यम से निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।

- समिति द्वारा ग्राम पंचायत अन्तर्गत स्वीकृत जल स्रोत उपचार योजनाओं के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण किया जायेगा। जिस हेतु समिति द्वारा स्वीकृत योजनाओं या अन्य माध्यमों से वित्तीय प्रबन्धन किया जायेगा।
- गैर वन क्षेत्रों में यह समिति ग्राम वासियों की सक्रिय सहभागिता से सभी पुनरोद्धार सम्बन्धित कार्यों की देख-रेख करेगी तथा इन क्षेत्रों में कार्यों के संचालन और सृजित संरचनाओं के रख-रखाव (O&M) की एक प्रणाली विकसित कर उसकी निरंतरता हेतु कार्य करेगी।
- ग्राम पंचायत स्तर पर **'धारा नौला संरक्षण समिति'** के कार्यों/बैठकों जन जागरूकता अभियानों तथा अभिलेखि करण सम्बन्धित कार्यों में जल मित्र द्वारा समिति को पूर्ण सहयोग किया जायेगा।
- **जल मित्र** द्वारा समिति को पूर्ण सहयोग किया जायेगा।
- **जल मित्र** द्वारा District SARRA Centre व समिति के मध्य समन्वयक का कार्य भी किया जायेगा व ग्राम्य पंचायत में गतिमान कार्यों की प्रगति से भी, जनपदीय कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. क्षमता विकास

- यह समिति धारा-नौला एवं नदियों के उपचार की आवश्यकता एवं इनके सत्त प्रबन्ध में स्थानीय समुदाय को जागरूक कराने हेतु नियमित रूप बैठकें व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना।

- समिति द्वारा नामित जल मित्र को जनपद/राज्य स्तर पर प्रशिक्षण व कार्यशालाएं आयोजित कर जल स्रोत उपचार व नदी उपचार पद प्रशिक्षित/जागरूक किया जायेगा, ताकि राज्य स्तर पर प्रशिक्षित जल मित्र को तैयार कर जन समुदाय को जल सम्पदा संरक्षण हेतु जागरूक किया जा सके।
- समिति द्वारा नामित जल मित्र को सम्बन्धित विषय के ख्याति प्राप्त संस्थानों या गैर सरकारी संस्थाओं से GIS / Geohydrologist अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रशिक्षित कराया जायेगा।
- इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त हितभागियों को जल स्रोत व नदी पुनरोद्धार विषय पर जागरूक किया जायेगा।
- जागरूकता हेतु नियमित रूप से राज्य, जनपद तथा ग्राम स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला व गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा।
- क्षमता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जल मित्र को क्षेत्र के अनुरूप वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर 'जल मन्दिर' योजना जैसे प्रस्तावों को तैयार करने हेतु भी प्रशिक्षित किया जायेगा।

अतः उपरोक्त उल्लेखित कार्य व दायित्व को चरणबद्ध रूप से **'धारा नौला संरक्षण समिति'** द्वारा किया जायेगा, जिससे जन भागीदारी की स्थानीय स्तर पर बल मिलेगा व कार्यों का अपेक्षित तथा प्रभावी परिणाम भी दृष्टिगोचर हो सकेगा।

"संस्कृत्या संरक्ष्यते भूमिः, संस्कृत्या रक्ष्यते जलं।
संस्कृत्या पूज्यते सर्वं, संस्कृतिः जीवनस्य बलं॥"

अर्थ

संस्कृति के द्वारा ही धरती सुरक्षित रहती है,
संस्कृति के द्वारा ही जल की रक्षा होती है।
संस्कृति हमें सिखाती है कि सृष्टि का हर अंश पूजनीय है,
यही संस्कृति जीवन का वास्तविक बल है।

धारा नौला संरक्षण समिति के कार्यचरण

कार्यचरण	विवरण
1. धारा-नौला संरक्षण समिति का गठन	सर्वप्रथम परियोजना क्षेत्र में "धारा-नौला संरक्षण समिति'' का गठन किया जायेगा, तथा जिन स्थानों/क्षेत्रों में जलागम विभाग की योजनाऐं गतिमान हैं, अर्थात ग्राम पंचायत स्तर पर 'जल एवं जलागम प्रबंध समिति (WWMC) गठित है, उन स्थानों पर WWMC द्वारा ही 'धारा-नौला संरक्षण समिति' के कार्यों का दायित्वों का निर्वहन।
2. जल स्रोतों के उपचार हेतु चिन्हीकरण	सामुदायिक सहभागिता द्वारा भगीरथ ऐप के माध्यम से जल स्रोतों का चिन्हिकरण किया जायेगा।
3. जल मन्दिर योजनाओं का निरूपण	चिन्हित धारे-नौलों में से ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक महत्व के धारे-नौलों को जल मन्दिर योजनाओं के माध्यम से उनके मूल रूप में संरक्षित किया जायेगा।
4. जलागम क्षेत्रों का मानचित्रिकरण व धारे-नौलों की मैपिंग	चिन्हित जल स्रोतों, धारे-नौलों एवं जलागम क्षेत्रों का District SARRA Centre द्वारा मानचित्रिकरण किया जायेगा।
5. चिन्हित धारें-नौलों की उपचार योजनाओं का नियोजन एवं क्रियान्वयन	ग्राम सभा/धारा-नौला संरक्षण समिति ⬇ जला स्तरीय कार्यकारी समिति (DLEC) की संस्तुति ⬇ SARRA द्वारा कार्ययोजना का अनुमोदन
6. चिन्हित धारो-नौलों की उपचार योजनाओं का वित्तपोषण	• Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA) • Convergence • Support from NGO/Other Insitution/CSR/etc.
7. जल मित्र	ग्राम पंचायत स्तर पर धारे-नौलों संरक्षण समिति द्वारा एक व्यक्ति को जल मित्र/जल सखी के रूप में नामित किया जायेगा।
8. मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	• बाह्य संस्थाओं द्वारा नौले-धारों के पुनर्जीविकरण हेतु विभिन्न रेखीय विभागों द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण। • जल मित्र द्वारा धारा-नौला समिति द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर गतिमान जल संरक्षण कार्यों का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा। • नियुक्त जल मित्र द्वारा समय-समय पर धारे-नौलों का प्रवाह मापन(Water Reading) का कार्य किया जायेगा।

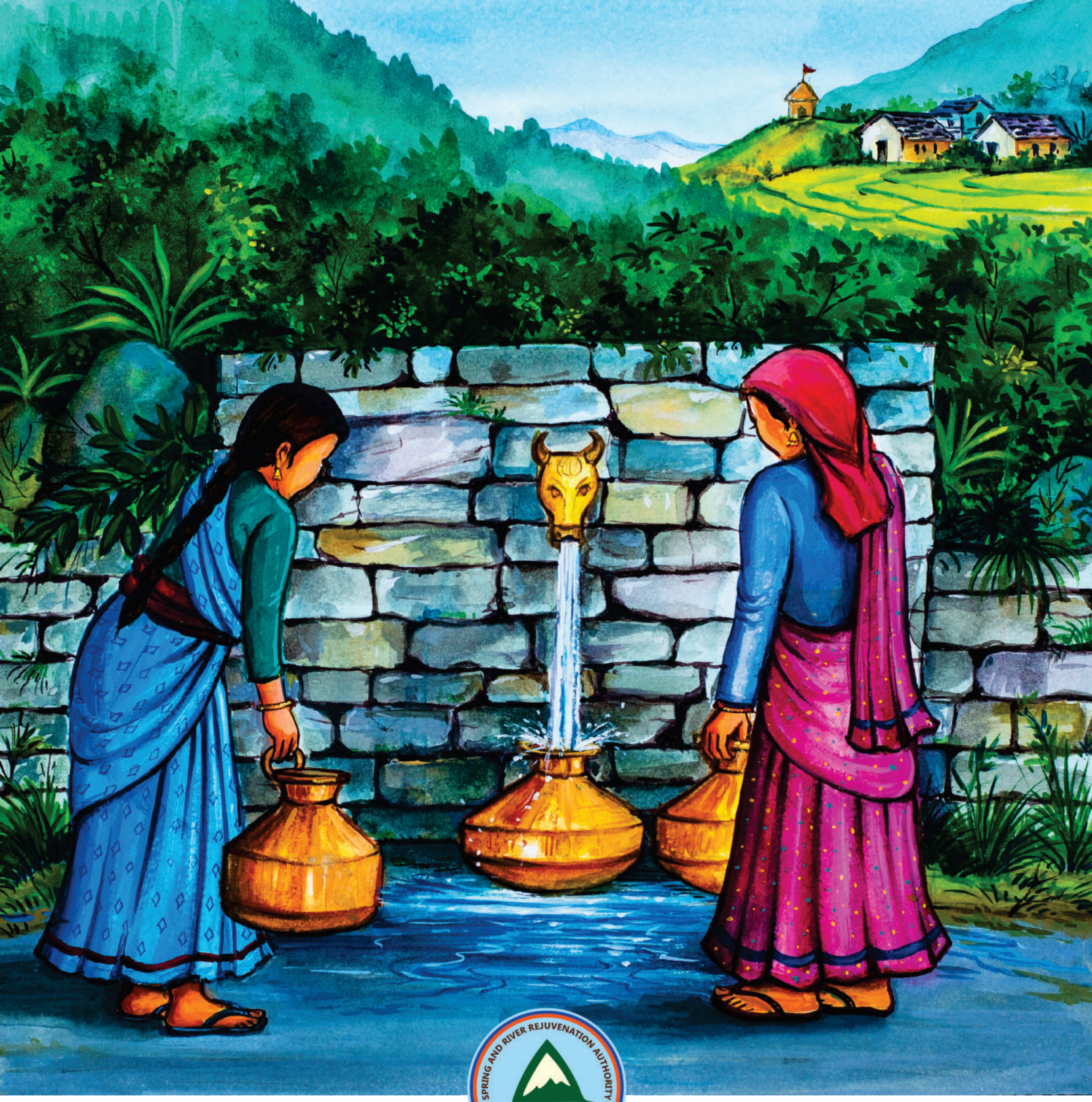

SPRING AND RIVER REJUVENATION AUTHORITY

INDIRA NAGAR, FOREST COLONY, DEHRADUN

PHONE – 0135-2768712, 0135-2760170

E-MAIL – sarrauttarakhand@gmail.com, WEB – www.wmduk.gov.in